तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बाबूलाल बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण** **39/14**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.17	पत्रावाली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2005 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी (3) के तहत पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी (3) के विरूद्ध हस्तगत अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने पर हस्तगत अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषनीय नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त, जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	